

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नितिन कुमार

बनाम

रोशन लाल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

418
2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

15/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अतः अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/05/2026 को पेश हो

18/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/02/2022 पारित करते हुये उभयपक्ष को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही किये बिना ही सीधे ही अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है, जबकी विधि के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही किया जाना अपीलार्थी के लिये आवश्यक था | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत नहीं होता है |

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 09/02/2022 में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुये अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |